



राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
National Dairy Development Board

FPS: Interest Rate: 5986

20 October 2020

CIRCULAR

To,
All Cooperative Milk Unions/ Federations/ Milk Producer Companies/
NDDB's Subsidiary companies

With effect from 1st November 2020, the floating rate of interest on both Long Term and Working Capital loans provided by National Dairy Development Board to Cooperative Milk Unions/ Federations/ Milk Producer Companies / NDDB's Subsidiary Companies are being revised as under:

Particulars	Present rate of interest	Rate of interest with effect from 1 st November 2020
Long Term loans*	7.30% per annum	6.55% per annum
Working Capital loans	7.00% per annum	6.25% per annum

* The above floating rate of interest in respect of Long Term Loans shall also be applicable for the Term Loans sanctioned prior to April 1, 2013, subject to acceptance of terms & conditions by Borrowers for conversion from fixed rate of interest to floating rate of interest.

All other lending terms for both Long Term and Working Capital loans will remain unchanged.

For National Dairy Development Board

General Manager
(Financial & Planning Services)



राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
National Dairy Development Board

FPS: Interest Rate: 5.986

20 October 2020

परिपत्र

प्रति,

सभी सहकारी दुग्ध संघ / महासंघ / दुग्ध उत्पादक कंपनियाँ / डेरी बोर्ड की सब्सिडीयरी कंपनियाँ

1 नवंबर 2020 से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सहकारी दुग्ध संघ / महासंघ / दुग्ध उत्पादक कंपनियों / बोर्ड की सब्सिडीयरी कंपनियों को प्रदत्त दीर्घ कालीन ऋण एवं कार्यशील पूंजी ऋण पर निम्नलिखित प्रभावित फ्लोटिंग ब्याज दर संशोधित किए जा रहे हैं :

विगत	वर्तमान ब्याज दर	01 नवंबर 2020 से प्रभावी ब्याज दर
दीर्घ कालीन ऋण *	7.30% प्रति वर्ष	6.55% प्रति वर्ष
कार्यशील पूंजी ऋण	7.00% प्रति वर्ष	6.25% प्रति वर्ष

* ब्याज दर के नियत दर (फ़िक्स्ड रेट) से फ़्लोटिंग दर में रूपांतरण की शर्तों को ऋणी द्वारा द्वारा दी गई स्वीकृति की दशा में, उपरोक्त फ़्लोटिंग दर 01 अप्रैल, 2013 से पहले स्वीकृत दीर्घ कालीन ऋण के लिए भी लागू होंगी ।

दीर्घ कालीन ऋण एवं कार्यशील पूंजी ऋण से संबन्धित अन्य सभी शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है ।

कृते राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

महा प्रबन्धक
(वित्तीय एवं योजना सेवाएँ)